पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ... आज अदालती ... स्थगन करे रखा है। पत्रावली ... आदेशानुसार दिनांक 23/11/22 को पेश हो।

23/11/22 वकुलाप उप० बहस हेतु अवसर चाहा बहस पत्रावली दिनांक 2/12/22 को पेश हो।

R...

2/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 15 स्वयं उपस्थित। संशोधित विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाप उभय पक्षों को एवं प्रतिवादी सं.15 को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का जिसमें पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। जिसकी पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी. किया जावे। वकील प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 15 ने भी संशोधित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी. किये जाने पर सहमति दी।

बहुमाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/खातेदारान के मध्य कब्जा काश्त व रिकार्ड अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2022/6555 दिनांक 9/11/2022 अनुसार प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तथा वादी व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)